उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-06 /2022/174/92-2-22-13जॉच/2021
लखनऊ :: दिनांक:: 18 अप्रैल 2022

कार्यालय-ज्ञाप

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में सहायक अभियंता के पद पर प्रतिनियुक्ति पर तैनाती की अवधि में प्राधिकरण के प्रवर्तन जोन-6 के अन्तर्गत वैशाली आवासीय योजना में मै0 रीजेन्सी इण्ड0 लि0 (मै0 दीपसन्स प्रा0लि0) को आवंटित भूखण्ड संख्या-जी0एच0-12, सेक्टर-3 वैशाली, गाजियाबाद पर किये जा रहे निर्माण कार्य/आवंटन के संबंध में आवंटी एवं प्राधिकरण के मध्य विवाद के संबंध में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुमति याचिका संख्या-22988/13 गाजियाबाद विकास प्राधिकरण बनाम मै0 रीजेन्सी इण्ड0 लि0 व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 23-08-2013 को पक्षकारों को स्थल पर यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये गये। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में सहायक अभियंता के पद पर प्रतिनियुक्ति पर तैनात श्री योगेन्द्र नारायण चौधरी, सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन में प्रश्नगत भूखण्ड पर किये जा रहे निर्माण कार्य को रोकने हेतु अंकुश नहीं लगाया गया तथा अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करने में गंभीर लापरवाही बरतते हुये अवैध निर्माणों को बढावा देते हुये निर्माणकर्ता/बिल्डर को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवहेलना किये जाने तथा अवैध निर्माणों को बढावा देते हुये निर्माण कर्त्ता/बिल्डर को अनुचित लाभ पहुँचाने एवं अपने कर्तव्योंएवं दायित्वों के निर्वहन में गम्भीर लापरवाही बरतने हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये गये श्री योगेन्द्र नारायण चौधरी, तत्कालीन सहायक अभियंता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (प्रतिनियुक्ति पर तैनात) सम्प्रति सहायक अभियंता, (ि वदयुत) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गाजियाबाद के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ अपर आयुक्त (प्रशासन) मेरठ मण्डल मेरठ को पदेन जांच अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-06/2022/174(1)/92-2-2022 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-9 उ0प्र0 शासन को उनके पत्र सं0-2724/आ0-9-2021 दिनांक 17-11-2021 एवं ईफाइल संख्या-8-9001(003)/22/2020 दिनांक 22.02.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2- जांच अधिकारी/अपर आयुक्त (प्रशासन) मेरठ मण्डल मेरठ को शासन द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र **मूलरूप में** इस आशय से प्रेषित कि नियमानुसार जांच कार्यवाही पूर्ण करते हुये जांच आख्या शासन को निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3- निदेशक एवं मुख्य अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग उ0प्र0 लखनऊ।

4- उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद को इस निर्देश् के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत अनुशासनिक कार्यवाही में जो भी अभिलेख जॉच अधिकारी तथा श्री वाई0एन0 चौधरी सहायक अभियंता द्वारा मॉगे जाये उनको प्राथमिकता पर उपलब्ध् कराने कष्ट करे।

5- श्री योगेन्द्र नारायण चौधरी, सहायक अभियंता, ग्रा0अ0वि0, प्रखण्ड-गाजियाबाद द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

6- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनूप कुमार श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।